

30.6.22

पलावली पेश हुई। नकोल मकानकारों अनुपातिक /
नकोल बादी व नोदियों एवं प्रतिवादिमें को न्यायालय
समम तक जाए जाए आवाज लगवई गईलेकेन
मई उपास्थितमई हुए और ना ही प्रमाण अवसर
दिमें जाने पर भी प्रतिवादिमें को तलबी हेतु तलबना
नोदिस पेश नही किये गये हैं।

अतः नोदियों का वाद अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 1
आ दी प्रमाण अवसर दिमें जाने पर भी प्रतिवादिमें
को तलबी हेतु तलबना नोदिस पेश नही करने के
आभाव में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत
नोदिस किया जाता है। पलावली केसल सुमाई होकर
नम्बर 1000 होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
दुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपरवाड अधिकारी
सांभर

